निकाह के लिए लगाई गयी शर्तों की फ़िक़्ही हैसियत

आठवें फ़िक़्ही सेमिनार (अलीगढ़, 22-24 अक्टूबर 1995 ई0) में पास प्रस्ताव के अनुसारः

1- निकाह में अगर ऐसी शर्त लगाई जाएं जो निकाह के बाद लागू होने वाली ज़िम्मेदारियों और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए हों तो वह जायज़ हैं, और उन्हें पूरा करना वाजिब है।

2- निकाह के समय ऐसी शर्तें लगाना जो निकाह के तक़ाज़ों के ख़िलाफ़ हों, या शरई रूप से अवैध हों, नाजायज़ है और उनका पूरा करना ग़लत है। जैसेः बीवी को गुज़ारा न देने की शर्त लगाना या दहेज़ और तिलक वग़ैरह की शर्त लगाना।

3- निकाह के वक़्त ऐसी शर्तें लगाई जाएं जिन्हें शरीअत ने ना तो मना किया है और ना ही उन्हें करनो का निर्देश दिया है, तो उन्हें पूरा करना वाजिब है।

☆☆☆